न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या.. 3/2022

तहसीलदार शाहपुरा बनाम पूरणमल वगैहर

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 18.1.2022

तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक आरए/2021/ 51 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा संलग्न मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 8/1 रकबा 0.42 है0 में से 0.003 है0, 9रकबा 0.62 है0 में से 0.0250 है0 भूमि पर मौके पर चालू आम रास्ता विधमान है जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त हुआ है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में मौके पर रास्ते के रूप में रास्ता चालू होना बताया है । इससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के ही काम आ रही है,। रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा व सरपंच ग्राम पंचायत बाडीजोडी के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6/2003/पाट्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 8/1 रकबा 0.42 है0 में से 0.003 है0, 9 रकबा 0.62 है0 में से 0.0250 है0 निजी खातेदारी में से (मुताबिक नजरी नक्शा ट्रेस) भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांकःराजस्व/2022/ 28-29

दिनांक : 18.1.22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 . तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।

2 . रक्षित पत्रावली।

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)